

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर  
क्रमांक :- ई-18/एम/एसीपी-<sup>2017</sup>1/2017/ दिनांक :

### आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.11 (7)वित्त/नियम/2008 दिनांक 12.09.2008 एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफ.14 (88)वित्त (नियम)/2008-1 दिनांक 31.12.2009 एवं दिनांक 05.07.2013 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार श्री गणेश सिंह चौहान, लिपिक ग्रेड-प्रथम, अति0 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी(प.क.), बूंदी, जिनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 01.12.1989 है, को 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 01.12.2016 से 9300-34800 व ग्रेड पे 4200 एसीपी स्वीकृत किया जाता है।

उक्त कर्मचारी का वेतन नियतन संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पृथक से किया जावेगा।

*sal*  
(राकेश शर्मा)  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/एसीपी-<sup>2017</sup>1/2017/1733 दिनांक : 24.07.17  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बूंदी।
2. श्री गणेश सिंह चौहान, लिपिक ग्रेड-प्रथम को सूचनार्थ।
3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
4. आदेश/निजी पत्रावली।

*[Signature]*  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राज0 जयपुर